


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानानुसार दिनांक 22.05.19 को गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार ग्रुप जी में संवर्गित उप जिला शिक्षा अधिकारी-शा0शि0 एवं समकक्ष पद पर (ग्रुप-जी) पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 5400 में वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध इस कार्यालय के आदेशांक:- शिविरा/मा/संस्था/बी-III/डीपीसी/उपजिशिअ(शाशि)/2019-20/ दिनांक 08.07.19 द्वारा चयन किये जाने पर समसंख्यक आदेश दिनांक:- 12.07.2019 द्वारा 6 चयनित उप जिला शिक्षा अधिकारी-शा0शि0 के पदस्थापन आदेश जारी किये जाकर दिनांक:-18.07.2019 तक कार्यग्रहण करने हेतु पाबन्द किया गया था।

लेकिन निम्नांकित चयनित कार्मिक द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने के कारण इनका पदोन्नति परित्याग एतद् द्वारा जारी किया जाता है।

क्र. स.	वरि. क्रमा.	अवधि	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती)	वर्ग	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	5	89-90	मंजू श्रीवास्तव		F	14-07-62	राबाउमावि मांडल	भीलवाडा	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, टोंक	टोंक



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 7-08-2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/उपजिशिअ शाशि/डीपीसी पदस्थापन 2019-20/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. प्रमुख शासन सचिव-स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (क-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान-सरकार, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा।
7. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक।
9. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. संबंधित संस्था प्रधान।
11. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
12. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/प्रभारी बी-3।
13. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक-कार्मिक